

# न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 04/18

तारीख रजू 23.1.2018

1 प्रेमचन्द जैन तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये भरतपुर जोन भरतपुर :-आवेदक

बनाम

1 मदन मोहन गुप्ता पुत्र श्री किरोडी लाल गुप्ता जाति महाजन एफबीओ व मालिक फर्म जयबाबा मिष्ठान भण्डार गुलाबबाग तिराहा करौली निवासी चौधरी की बगीची अजयसिंह होटल के पीछे करौली — अभियुक्त

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(II) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 U/S

3(1)(zx) & 3(1)(i) of FSSA 2006

निर्णय


दिनांक 19.2.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये भरतपुर जोन भरतपुर द्वारा एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा (2)(II) धारा 51 व 54 का उल्लंघन के तहत गैरसायलान (अभियुक्त) के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें गैरसायलान फर्म जयबाबा मिष्ठान भण्डार गुलाबबाग तिराहा करौली में चलाता हुआ मिला जिसमें आम जनता के इस्तेमाल के लिए मावा बर्फी(मावा व चीनी से निर्मित ) आदि बेचता है। इन खाद्य प्रदार्थ में मिलावट का अन्देश होने पर मैंने दुकान मालिक यानि गैरसायलान से मावा बर्फी का नमूना लेने को कहा गया एवं शुद्धता की जाँच हेतु लिया गया जिसकी सूचना दुकान मालिक को जरिये प्रपत्र 5 ए देकर एक प्रति पर प्राप्ति हस्ताक्षर लिए गये एवं उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर कराकर मैंने हस्ताक्षर किये गये उक्त शीशीयों में से जाँच हेतु खरीद कर प्राप्त किये गये जिन्हे खाद्य विश्लेषक अलवर के यहाँ जाँच हेतु भेजा गया जाँच रिपोर्ट में उक्त नमूना मावा बर्फी(मावा व चीनी से निर्मित ) सबस्टैण्डर्स किस्म का पाया गया है। प्रकरण दर्ज पंजीका कर गैरसायलान को तलब किया गया। जिसमें गैरसायलान जरिये स्वयं उपस्थित आया। और अपेन जबाव पेश किया गया। जिसमें सभी इस्तागास में वर्णित बीन्दूओ को नकारते हुये फेट व ऑई ऐड्ड माना है। जो की पशुओ को तेल व तेल युक्त पदार्थ बिनौला खल खिलाने से भी पाया जाता है। अन्य कोई मिलावट नहीं की गई है। किसी प्रकार का हानी कारक नहीं है।

2017 को मावा बर्फी(मावा व चीनी से निर्मित ) का नमूना लिया गया था जो खाद्य विश्लेषक अलवर द्वारा इसे सबस्टैण्ड्स माना गया है। जिसमे गैरसायल द्वारा इस मावा बर्फी(मावा व चीनी से निर्मित ) मे कोई मिलावट नही होना बताया है किन्तु खाद्य विश्लेषक अलवर राजस्थान से प्राप्त रिपोर्ट एल.एस.822/एक्ट/2017/843 दिनांक 21.8.2017 से मावा बर्फी सबस्टैण्ड्स किस्म की पाया जाना बताया गया है। U/S 3(1)(zx) of FSSA 2006 फैट कन्टन्ट आर लॉ प्रकृति का पाया गया। इस प्रकार से गैरसायलान द्वारा विक्रय किया गया सामान सबस्टैण्ड्स का है। और इस जॉच रिपोर्ट की चुनौती देने हेतु आवेदक द्वारा धारा 46(4) के तहत 30 दिवस का समय दिया गया था किन्तु समय अवधि मे अप्रार्थी द्वारा इसको चुनौती नही दी गई है। हम आवेदक के प्रार्थना पत्र से सहमत है। नमूना सबस्टैण्ड्स होने पर इसके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित हो रहा है।

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा 2(II) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 U/S 3(1)(zx) of FSSA 2006 धारा 51 व 54 के तहत अप्रार्थी को 3000/- रुपये अंकेन तीन हजार रुपये के दण्ड से दण्डित किया जाता है अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि सात दिवस में उक्त राशि न्यायालय में जमा कराई जावे तथा भविष्य मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 मे दिशा निदेशानुसार ही शर्तों के मुताबिक ही गुणवत्ता को ध्यान मे रख कर ही विक्रय/उपयोग लिया जावे। निर्णय की प्रति संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये भरतपुर जोन भरतपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
अति० जिला कलक्टर  
करौली